पूर्वोत्तर में शांति स्थापना की दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उठाए गए क़दम

भारत सरकार ने उग्रवाद को समाप्त करने और पूर्वोत्तर राज्यों में स्थायी शांति लाने दिशा में पिछले तीन वर्षों के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें प्रमुख समझौते इस प्रकार हैं:

समझौतों से समाधान तक

1. अगस्त, 2019 में NLFT (SD) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके फलस्वरूप 44 हथियारों के साथ 88 कैडर ने आत्मसमर्पण किया।

2. दिनांक 16.01.2020 को 23 साल पुराने ब्रू-रियांग शरणार्थी संकट को हल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके द्वारा त्रिपुरा में 37,000 से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को बसाया जा रहा है।

3. असम में पांच दशक पुराने बोडो मुद्दे को हल करने के लिए बोडो समझौते पर 27 जनवरी, 2020 को हस्ताक्षर किए गए जिसके फलस्वरूप, दिनांक 30.01.2020 को गुवाहाटी में आयोजित एक आत्मसमर्पण समारोह में कुल 1615 कैडर ने भारी मात्रा में हथियार और गोलाबारूद के साथ आत्मसमर्पण किया।

4. असम के कार्बी क्षेत्रों में लंबे समय से चल रहे विवाद को हल करने के लिए 04 सितम्बर, 2021 को कार्बी आंगलोंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसमे 1000 से अधिक सशस्त्र कैडर हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए।

5. असम-मेघालय अंतरराज्यीय सीमा समझौता: असम और मेघालय राज्यों के बीच अंतरराज्यीय सीमा विवाद के कुल बारह क्षेत्रों में से छह क्षेत्रों के विवाद के निपटारे के लिए 29 मार्च 2022 को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

AFPSA की परिधि में कमी करके अशांति को आकांक्षा में बदलने की पहल

अशांत क्षेत्र से आकांक्षा क्षेत्र

सुरक्षा स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप उत्तर पूर्व राज्यों की वर्षो से लंबित भावनात्मक मांग को पूरा करते हुए उत्तर पूर्व के एक बड़े भू भाग से सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (AFSPA) के तहत अशांत क्षेत्रों को कम किया है।

- असम: 60% असम अब AFSPA से मुक्त
- मणिपुर: 6 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों को अशांत क्षेत्र की परिधि से बाहर किया गया
- अरूणाचल प्रदेश: अब सिर्फ 3 जिलों और एक जिले के दो पुलिस स्टेशन में AFSPA बचा
- नागालैंड: 7 जिलों के 15 पुलिस स्टेशनों से अशांत क्षेत्र अधिसूचना को हटाया गया
- त्रिपुरा और मेघालय: पूरी तरह से हटा लिया गया

आज का समझौता

इसी क्रम में भारत सरकार, असम सरकार और 8 सशस्त्र आदिवासी गुटों के बीच उग्रवाद ख़त्म करने और आदिवासी हितों को सुनिश्चित करने के लिए आज एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया।

समझौते में हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा सहमति:

- सशस्त्र समूह हिंसा त्यागने और
- देश के संविधान द्वारा स्थापित कानून के राज को मानने
- शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने

प्रमुख प्रावधान :

- राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करना
- सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय पहचान की रक्षा, संरक्षण और बढ़ावा देना
- पूरे राज्य में आदिवासी क्षेत्र में बसे हुए गांवों/क्षेत्रों के साथ-साथ चाय बागानों का त्वरित और केंद्रित विकास सुनिश्चित करना
- असम सरकार द्वारा एक आदिवासी कल्याण और विकास परिषद की स्थापना
- भारत सरकार और असम सरकार द्वारा सशस्त्र समूहों के कैडरों के पुनर्वास और चाय बागान श्रमिकों के कल्याण के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे
- आदिवासी आबादी वाले गांवों/क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पांच साल की अवधि में 1000 करोड़ रुपये का विशेष विकास पैकेज प्रदान किया जाएगा

उत्तर पूर्व में सुरक्षा की स्थिति

वर्ष	घटना	मारे गए उग्रवादियों की	गिरफ़्तार उग्रवादियों की	सुरक्षाबलों की	नागरिकों की	उग्रवादियों द्वारा आत्मसमर्पण	डाले गए हथियार	पकड़े गए हथियार	अपहृत व्यक्ति

		संख्या	संख्या	जानहानि	जानहानि				
2014	824	181	1934	20	212	291	151	1104	369
2015	574	149	1900	46	46	143	69	828	267
2016	484	87	1202	17	48	267	93	605	168
2017	308	57	995	12	37	130	27	405	102
2018	252	34	804	14	23	161	58	420	117
2019	223	12	936	04	21	158	67	312	108
2020	163	21	646	05	03	2,696	445	466	69
2021	209	40	686	08	23	1,473	471	367	94
2022 (31.08.2022) तक	158	06	417	02	06	793	37	155	77

तुलनात्मक आंकड़े

	(जून 2006-मई 2014)	(जून 2014-अगस्त 2022)	परिवर्तन
घटनाएँ	8,700	3,195	**63% की कमी**
सुरक्षा बलों की मृत्यु	304	128	**58% की कमी**
नागरिकों की मृत्यु	1,890	419	**78% की कमी**